न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— **अशोक कुमार, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :— **47/2023**
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— **2023/129**

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
शंकरसिंह पुत्र वागसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भिण्डाकुआं तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.भोपालसिंह पुत्र हेमसिंह 2.प्यारीदेवी पत्नी हेमसिंह 3.रणछोड़सिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भिण्डाकुआं तहसील पचपदरा 4.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा 5.शाखा प्रबंधक एस.बी.आई.शाखा आसोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादी
2.श्री छत्रकरण भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3
4.प्रतिवादी संख्या 04 अनुपस्थित।
5.प्रतिवादी संख्या 05 एकतरफा।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) न्यायालय बालोतरा

निर्णय

दिनांकः— 24/12/2025

संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा बिठूजा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1072/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर व खसरा संख्या 1080/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 14.8.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्रांक 3470/04.12.2024 को माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिस पर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी पक्ष द्वारा आपति प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर वाद सुनवाई दुबारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया गया। जिसकी पालना मे तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्रांक 22/18.9.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया गया। दुबारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर भी प्रतिवादी पक्ष द्वारा आपति प्रार्थना पत्र पेश किया गया,जिस पर वाद सुनवाई आपति का निस्तारण किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बिठूजा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1072/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर व खसरा संख्या 1080/419 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	शंकरसिंह पुत्र वागसिंह जाति–राजपुरोहित सा.भिण्डाकुआ खातेदार रहन 1080/419 में पूर्ण हिस्सा SBI बैंक शाखा आसोतरा	बिठूजा	1072/419 1080/419	0.1618 0.7891	बा.अ. बा.अ.	0.44 2.17	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	भोपालसिंह पुत्र हेमसिंह जाति पुरोहित सा देह खातेदार	बिठूजा	1072/419 1080/419	0.3778 0.2630	बा.अ. बा.अ.	– –	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	रणछोड़सिंह पुत्र हेमसिंह जाति पुरोहित सा देह खातेदार रहन SBI बैंक शाखा आसोतरा	बिठूजा	1072/419 1080/419	1.0791 0.5261	बा.अ. बा.अ.	– –	नक्शे मे दर्शितानुसार
4	शंकरसिंह पुत्र वागसिंह हि. 1/2 भोपालसिंह पुत्र हेमसिंह हि. 1/6 रणछोड़सिंह पुत्र हेमसिंह हि. 1/3 जाति पुरोहित सा देह खातेदार रहन रणछोडसिंह का हिस्सा SBI बैंक शाखा आसोतरा में	बिठूजा	1080/419	0.0405	बा.अ.	0.11	नक्शे मे दर्शितानुसार

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 24/12/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

24/12/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 47/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/129

वादी		प्रतिवादी
शंकरसिंह पुत्र वागसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भिण्डाकुआं तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	बनाम	1.भोपालसिंह पुत्र हेमसिंह 2.प्यारीदेवी पत्नी हेमसिंह 3.रणछोड़सिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भिण्डाकुआं तहसील पचपदरा 4.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा 5.शाखा प्रबंधक एस.बी.आई.शाखा आसोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:–53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 47/2023
निर्णय दिनांक :–24.12.2025

वादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व शेष प्रतिवादी एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 24.12.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.12.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

24/12/25
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4...........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	————
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस	————	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	———	जोड़	————

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा